भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 676
जिसका उत्तर बुधवार 08 फरवरी, 2017 को दिया जाना है

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दी गई छूट तथा रियायत

676. डॉ० के० वी० पी० रामचन्द्र राव:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा अनेक अन्य छूटों तथा रियायतों के बावजूद सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यम घाटे में चल रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय छूटों तथा रियायतों का सरकारी क्षेत्र उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): जी, नहीं। जहां तक भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) का संबंध है, वे कम क्रयादेशों, कार्यशील पूंजी का अभाव, फालतू जनशक्ति, पुराने संयंत्र एवं मशीनरी और बदलती हुई बाजार परिस्थितियों से सामंजस्य करने में कठिनाई आदि जैसे कई कारणों से हानि में चल रहे हैं।

(ख): भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में रियायतों और छूटों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (राजबन यूनिट, हिमाचल प्रदेश) वर्ष 2010 से 100% सीमा शुल्क छूट का लाभ ले रही है। इसने वर्ष 2014-15 और 2015-16 में क्रमशः ₹7.37 करोड़ और ₹9.02 करोड़ की सीमा शुल्क छूट का लाभ लिया है।
- हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड, परिवहन पर अपनी अतिरिक्त प्रचालन लागतों को पूरा करने के लिए अनुदान प्राप्त कर रही थी। इसने वर्ष 2015-16 और 2016-17 में क्रमशः ₹83.50 करोड़ और ₹50.00 करोड़ की अनुदान राशि का लाभ लिया है।

******